

प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 00064/2021-2022

दिनांक 28/04/2021



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या:R/AZA/00742
/2021-2022

पत्रावली संख्या:AZ-10787 दिनांक:2005-2006

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि शुभम एजुकेशनल एण्ड सोशल सोसाइटी, मु०-सिधारी, निकट विशाल सिनेमा, पो०, तह०-सदर, जिला-आज़मगढ़, उ०प्र०, आज़मगढ़, 276001 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या-1107/2005-2006 दिनांक-29/03/2006 को दिनांक-28/03/2021 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1000 रुपये की नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।



Digitally Signed By
(AJAY KUMAR SHAHI)
312B4F4793C97A2B162F6F771F04D43EDB573E5B

Date: 28/04/2021 11:40:53 AM, Location: Azamgarh.

जारी करने का दिनांक-28/04/2021

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

-: संशोधित स्मृति पत्र :-

- १: संस्था का नाम : शुभम् एजुकेशनल एण्ड शोसल सोसाइटी ।
- २: संस्था का पता : मु० सिधारी (निकट विशाल सिनेमा), पो०, तह० सदर, जिला-आजमगढ़
: उ० प्र० ।
- ३: संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ।
- ४: संस्था के उद्देश्य १ : कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत मानव जाति के विकास एवं उन्नति के लिए प्राइमरी स्तर से उच्च स्तर तक बालक/बालिका विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों, अनावासीय, विद्यालयों, कान्वेंट विद्यालयों, बालश्रमिक विद्यालयों, आश्रम पद्धति विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों, बौद्ध विद्यालयों, दलित विद्यालयों, अम्बेडकर विद्यालयों, उर्दू, अरबी, फारसी, हिन्दी, तेलगू, बंगाली, मराठी, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों, विकलोग विद्यालयों, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों, ऑगन बाड़ी, बाल बाड़ी, पुष्टाहार योजनाओं, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमों किसान विद्यालयों, चरवाहा विद्यालयों आदि की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।
- २: नि:शुल्क पुस्तकालयों, वाचनालयों, क्रीडास्थलों, छात्रावासों, अनाथालयों, बृद्धाश्रमों, विधवाश्रमों, नारी निकेतनों बालसंरक्षण गृहों सामुदायिक उत्पादन केन्द्रों, संग्रहालयों, प्रयोगशालाओं, आदि की स्थापना एवं संचालन करना ।
- ३: गरीब, दलित, विकलोग, मेधावी, निराश्रित, असहाय, मृतक आश्रित सेनानियों के बच्चों, बाल श्रमिकों को नि:शुल्क शिक्षा के पुस्तकें प्रदान करना तथा उनके लिए छात्रवृत्ति एवं छात्रावासों की व्यवस्था करना ।
- ४: बाल श्रमिकों का चिन्ह करण करना तथा उन्हें शिक्षित करने का प्रयास करना तथा बधुआ मजदूरों को मुक्त करा कर उन्हें तथा बालश्रमिकों को शिक्षित प्रशिक्षित कर स्वरोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना ।
- ५: विकलोगों को नि:शुल्क कृत्रिम अंग, भोजन, आवास, शिक्षा, वस्त्रादि प्रदान करना तथा उनके लिए कृत्रिम अंगों का क्रय व वितरण करना ।
- ६: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत, कम्प्यूटर हार्ड वेयर, कम्प्यूटर साफ्ट वेयर, इण्टरनेट, साइबर कैफ, सिलाई, कढ़ाई, कटाई, बुनाई, तकनीकी, कुटीर, शिल्पकला, हस्तशिल्पकला, काष्ठकलाकम्प्यूटर, टंकण, आशुलिपि, इलेक्ट्रिकल्स एण्ड इलेक्ट्रानिक्स, पेंटिंग, जरीकढ़ाई, चिकनकढ़ाई, कालीनबुनाई, दरी बुनाई संगीत, नाट्य, बाद्य, कला, नृत्य मोटर ट्रेनिंग कालेजों, कृषि अनुसंधान केन्द्रों, व्यूटीपार्लरों, फोटोग्राफी, ए.सी रेफ्रिजरेशन, फैशन डिजाइनर, एक्सरे, टेक्नीशियन, लैब, पैथालोजिस्ट, मोबाइल रिपैरिंग, मासकम्प्युनिकेशन, साफ्टटूयायज, नृत्यथियेटर, माडलिंग, पेंटिंग, आई०टी० आई०, पालिटोकिनाक आदि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना ।
- ७: मुस्लिम माइनारिटी के नियमों का पालन करते हुए मदरसों, मकतबों, तहत्तानिया, फौकानिया, आलिया, हाफिज, कारी, मुन्शी, मौलवी, कामिल, आलिम, फाजिल, मुफ्ती, निश्वां मदरसों तथा उच्च स्तर तक की शिक्षा देने हेतु विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।
- ८: अल्पसंख्यक समुदाय के विकास हेतु भारतीय संविधान की धारा २६ व ३० के अन्तर्गत अल्पसंख्यक विद्यालय, महाविद्यालय की स्थापना एवं संचालन करके अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को शिक्षित करने का प्रयास करना ।

राम लाल सिंह
अध्यक्ष आर सिंह
प्रदीप कुमार सिंह
नेत्रबहादुर सिंह
अभिषेक सिंह
विवेक सिंह
उत्तम सिंह
विरेंद्र प्रसाद सिंह

सत्य-प्रतिलिपि

महायक निबंधक
सोसाइटीज तथा चिट
आजमगढ़

- 9: पर्याय संरक्षण हेतु कार्य करना तथा वन वन्य प्राणियों की रक्षा की भावना लोगों के अन्दर पैदा करना तथा वृक्षारोपण करना ।
- 10: प्रदूषण नियंत्रण हेतु नवेशी कानों, पशु अस्पतालों, प्रदूषण जाँच केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना ।
- 11: मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूनीसेक, इन्डू ० एच ० ओ ०, सिडघी, अयाई, कपार्ट, नशा, मोराड, डूडा, सुडा, तथाकरा अम्बेडकर ग्राम, समग्र ग्राम, स्वर्ण जयन्ती, स्वर्ण नगर, स्वजलधारा, सिन्हा नरेगा व मनरेगा आदि योजनाओं को जनहित में क्रियान्वित करना,
- 12: विभागीय विभाग संचालित योजना विल/वार्ज कलेक्शन को मुचारु रूप से विभागीय अनुमति द्वारा संचालित करने का प्रयास करना, तथा देश-विदेश से संस्कृत विकास हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करना ।
- 13: बालक/बालिकाओं, कलाकारों, के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक तथा धारित्रिक विकास करना तथा उनके लिए समय-समय पर खेलों, सेमिनारों, गोष्ठियों, प्रदर्शनियों आदि का आयोजन, संचालन करना सफल बालक/बालिकाओं, कलाकारों को पुरस्कृत करना, नेहरू युवा कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित करने का प्रयास करना ।
- 14: भारत सरकार, प्रदेश सरकार, जिला, तहसील, ब्लॉक तथा न्याय पंचायत स्तर पर जन विकास विशेषकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजनाओं एवं विकास के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना ।
- 15: घाटारोड एसोसिएशन, जल उपकरण एवं कैमिजमेण्ट योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों का उपलब्ध कराने का प्रयास करना ।
- 16: मातृ शिशु कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा लोगों को परिवार नियोजन अपनाने को प्रोत्साहित करना तथा जगह-जगह निःशुल्क टीकाकरण शिविरों, पल्सपोलियो शिविरों, दवाखानों, चैरिटेबुल अस्पतालों, एड्स, अपंगता, कुष्ठ, अंधता, निवारण केन्द्रों आदि की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।
- 17: कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने हेतु मोमबत्ती, अगरबत्ती, दियासलाई, वाशिंगपाउडर, स्लीपिंगपाउडर, साबुन, अचार, मुरब्बा, चिप्स, चाकलेट, नमकीन, विस्कुट, नील, चाय, कागज की कप, प्लेट आदि बनाने हेतु प्रशिक्षणकेन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना ।
- 18: समाज में व्याप्त कुरीतियों यथा दहेज, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, नशा, शराब, गोंगा, अफीम, भोंग, तम्बाकू आदि का सेवन करने वालों को बचाने हेतु जागरूकता शिविरों एवं नशा उन्मूलन अस्पताल केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना ।
- 19: गौधों का विकास करना तथा गौधों में निःशुल्क शौचालयों, मूत्रालयों, सफाई, पेयजल, तथा आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करना ।
- 20: गृह मंत्रालय द्वारा संचालित एफ ० सी ० आर ० ए ० की समस्त योजनाओं को संचालित कर देश एवं समाज का विकास करना तथा भूतपूर्व एवं शहीद सैनिकों के आश्रित/परिवार जनों के कल्याण के लिए कार्य करना ।
- 21: स्वयं सहायता समूहों का गठन एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

रामनरेश्वर सिंह
अधीन कुमर सिंह
अधीन कुमर सिंह
तेजवारा सिंह
अधीन सिंह
अधीन सिंह
अधीन सिंह



सत्य-प्रतिलिपि

सहायक निबंधक
मोबाइल तथा चिट
आजवाड

- २२: कस्तूरना गोंधी योजना द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों को संचालित करना तथा इसके अन्तर्गत आने वाली शिष्य संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन करने का प्रयास करना तथा मिड-डे-मिल योजनाओं का क्रियान्वयन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।
- २३: समयानुसार संस्था के विकास हेतु बी०एड०, बी०पी०एड०, सी०पी०एड०, बी०टी०सी० आदि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करना ।
- २४: वैद्यिक भाषा यथा बाढ़, सुखा, भूकम्प, महामारी, ओलावृष्टि, तूफान, आदि के समय लोगों को यथा सम्भव मदद करना तथा पीड़ितों को निःशुल्क भोजन, दवा-इलाज, आचारा, वस्त्रादि प्रदान करने का प्रयास करना ।
- २५: वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों एवं साधनों का विकास करना, उन पर महत्वपूर्ण शोध करना, उनके उपयोग के बारे में लोगों को जागृत करना, देश में आने वाले ऊर्जा संकट से बचने के लिए अधिकाधिक संख्या में वैकल्पिक ऊर्जा के साधनों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना तथा इसके प्रचार-प्रसार हेतु अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत मंत्रालय, भारतसरकार एवं वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश से अनुदान/सहायता प्राप्त कर कार्यशालाओं एवं गोष्ठी का आयोजन विभागीय अनुमति से करना, तथा ग्लोबल वार्मिंग को रोकने हेतु प्रचार-प्रसार करना ।
- २६: कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय समरता मिशन के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का प्रयास करना, तथा राष्ट्रीय कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं का संचालन करने का प्रयास करना ।
- २७: स्वास्थ्य के संदर्भ में जागरूकता फैलाना तथा इसके अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों के बारे में जनसामान्य को जानकारी प्रदान करने का प्रयास करना ।
- २८: स्वास्थ्य के क्षेत्र में चल रहे अनुसंधानों में विभिन्न प्रकार से सहयोग प्रदान करने का प्रयास करना तथा गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जाँच व परीक्षण करना एवं समय-समय पर टीकाकरण आदि कराने का प्रयास करना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का प्रयास करना ।
- २९: सरकार द्वारा चलाये जा रहे न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की मूल भूत सुविधाओं को प्रदान करने में सहयोग प्रदान करना ।
- ३०: पैरामेडिकल कालेज के अन्तर्गत नर्सिंगहोमों, फार्मसी, पैथालाजी, रेडियोलॉजी, फिजियोथैरेपी, ऑप्टोमिटी, कार्डियालाजी, सी०टी०/एम०आर०आई०, आप्टोमैट्री, इक्वूपमेन्ट मेन्टेन्स, हास्पिटल, एडमिनिस्ट्रेशन, ओ०टी०टेक०, ए०एन०एम० आदि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।
- ३१: राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे मलेरिया, काला आजार, डेंगू बुखार जापानी इनसेफलाइटिस, फाइलेरिया, क्षय रोग, रजित रोग, राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय संचारी रोग, निगरानी कार्यक्रम, कैंसर, टी०बी०, चेचक आदि के उन्मूलन नियंत्रण हेतु कार्यक्रमों में सहभागिता द्वारा लोगों को प्रशिक्षित करना तथा स्वास्थ्य सुविधाये विभागीय अनुमति से प्रदान करने का प्रयास करना ।

राम मन्जु सिंह
अधीनस्थ अधिकारी
उत्तर प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य विभाग
लखनऊ



सहायक निबंधक
सोफ्टवेयर तथा चिट
आजमाद

- ३२: स्वास्थ्य राष्ट्र" व समाज निर्माण में सहयोग प्रदान करना तथा होम्योपैथिक, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा, इक्वूपेशर, एल्योपैथिक, योगा एवं वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति आदि को बढ़ावा देने का प्रयास करना ।
- ३३: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नर्स व ए०एन०एम० प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना
- ३४: गाँवों में रहने वाली गरीब जनता के स्वास्थ्य विकास हेतु जगह-जगह चौपालों, जनजागरूकता कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों आदि के द्वारा लोगों को घरों में शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करना तथा जगह-जगह निःशुल्क शौचालयों, मूत्रालयों, पेयजल सफाई एवं निःशुल्क व्यवस्था व संचालन करने का प्रयास करना ।
- ३५: गरीब असहाय, निराश्रित बालक/बालिकाओं की सामूहिक व पृथक-पृथक शादी विवाह कराना व उनके विवाह के समय यथाशक्ति भोज्य पदार्थ, टेन्ट आदि सामान उपलब्ध कराने का प्रयास करना तथा विवाहोपरान्त प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रयास करना ।
- ३६: कृषि उत्पाद बढ़ाने का प्रयास करना तथा किसानों को नये तकनीकीयंत्रों, खादों, बीजों, कीटनाशक दवाओं उसर भूमि सुधार खादों के प्रयोग की विधि व मात्रा को बताना तथा उन्हें उपलब्ध कराने का प्रयास करना ।
- ३७: कृषि विकास में सहयोगी पशुपालन, मत्स्यपालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खीपालन, बकरीपालकों को निःशुल्क प्रशिक्षण देना ।
- ३८: सभी प्रकार के जैविक खादों एवं यमी खाद (केचुला खाद) का उत्पादन करना ।
- ३९: आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा देने एवं किसानों के विकास हेतु औषधीय पौधों व वृक्षों का रोपण करवाना एवं उनकी देखभाल करना तथा उनके प्रभाव के बारे में लोगों को बताना तथा इनसे होने वाले लाभ का प्रचार-प्रसार करना तथा जगह-जगह निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सालयों, शिविरों, दवाखानों आदि की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।
- ४०: जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड से जीव जन्तुओं के कल्याणार्थ योजनाओं हेतु आवेदन करना तथा सहायता प्राप्त कर उन्हें भौतिक रूप से क्षेत्र में लागू करना तथा जीव जन्तुओं की रक्षा करने का प्रयास करना ।
- ४१: रेडक्रास सोसाइटी की योजना में कंधा से कंधा मिलाकर जनसाधारण की सहायता करना धर्मार्थ चिकित्सालयों का निर्माण करना तथा रक्तदान शिविर तथा दृष्टिहीनता को दूर करने के लिए शुल्क, निःशुल्क नेत्र ज्योति शिविर का आयोजन करना तथा जनसाधारण को हर तरह से सुविधा मुहैया कराने का प्रयास करना ।
- ४२: जेट्रोफा (डीजल का पौधा)(रतन जोत)की खेती को बढ़ावा देने का प्रयास करना तथा किसानों को इसके बारे में निःशुल्क प्रशिक्षण देना एवं जेटोफर के वृक्ष को लगवाने का प्रयास करना ।
- ४३: जल संरक्षण, जल चक्र व जल संसाधन से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों का संचालन करना एवं ग्वच्छ पेयजल लोगों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना ।

2mm (w) लि
अरुणेश कुमार सिंह
प्रमोद कुमार सिंह
नमिष कुमार सिंह
शमिष कुमार सिंह
विद्या सिंह
अमिताभ सिंह
विजय कुमार सिंह

सत्य-प्रतिलिपि

सहायक निबंधक
सोसाइटीज तथा चिट
आजमगढ़

- ४४. समान वे समता,स्वतंत्रता तथा बन्धुत्व की भावना के विकास हेतु हर सम्भव प्रयास करना ।
- ४५. क्षिति,शोषित,पिछड़ी जातियों में फैली असमानता,अन्धविश्वास तथा कुुरीतियों को दूर करने का प्रयास करना ।
- ४६. जनविकास हेतु विचारगोष्ठियों,प्रबचन,सभाओं,अध्ययन शिबिरो,स्मृति दिवसों तथा सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन एवं संचालन करना, तथा धर्मांध चिकित्सालयों की स्थापना एवं संचालन करने का प्रयास करना
- ४. संस्था के प्रबन्धकारिणी सभित के सदस्यों /पदाधिकारियों के नाम,पिता/पति का नाम,पता पद तथा व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौपा गया :-

क्र०सं० नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
१:श्री रामलखन सिंह	स्व० सत्यनारायण सिंह	ग्राम बरईपुर पो० पलही पदटी, चाराणसी	उपध्यक्ष	कृषि
२:श्री तेजबहादुर सिंह	स्व० शकलनारायण सिंह	" "	उपध्यक्ष	"
३:श्री प्रदीप कुमार सिंह	श्री रामलखन सिंह	" "	प्रबन्धक	"
४:श्री अरविन्द कुमार सिंह	श्री रामलखन सिंह	" "	कोषाध्यक्ष	"
५:श्री अभिषेक सिंह	श्री तेजबहादुर सिंह	" "	सदस्य	"
६:श्री विवेक सिंह	श्री तेजबहादुर सिंह	" "	"	"
७:श्री आत्मा सिंह	स्व० सत्यनारायण सिंह	" "	"	"
८:श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह	श्री आत्मा सिंह	" "	"	"



६:४४म निम्न हरताहरकर्तागण संस्था को उपरोक्त स्मृति फा व संलग्न नियमावली के अनुसार सो०रजि०पेक्ट १८६० व धारा २१ के अन्तर्गत रजि० कराना चाहते हैं ।

दिनांक

सभी सदस्यों/पदाधिकारियों के स्पष्ट हस्ताक्षर

राम लखन सिंह
 अरविन्द कुमार सिंह
 प्रदीप कुमार सिंह
 तेज बहादुर सिंह
 अभिषेक सिंह
 विवेक सिंह
 अत्मा सिंह
 विरेन्द्र प्रताप सिंह

सत्य-प्रतिलिपि
 सहायक निबंधक
 सोमपुरहीज तथा धिठ
 आजमाद

संशोधित नियमावली :-

- 1. संस्था का नाम : सुनार एग्रीकल्चरल एंड होमसाइड सोसाइटी ;
- 2. संस्था का पता : पु. वि.वा.के. (विगत विद्यालय विभाग), पी. 0, त. 0, स. 0, जिला-आजमगढ़, उ.प्र.
- 3. संस्था का कार्यालय : सुनार जगर प्रोब ;
- 4. संस्था के उद्देश्य : मुक्ति एज के अनुमान ;
- 5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :

आजीवन सदस्य : जो अधिक संस्था को एक मुक्त से कम से कम 5000/- या उससे अधिक धुन की धन/अथवा समकित विचार्ये धन के सदस्यता शुल्क स्वक्य होने तथा संस्थागत कार्य करने संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेंगे ।

विशेष सदस्य : जो अधिक संस्था के प्रति विशेषीयत्व रखने वाले होने तथा संस्था को 2000/-क्या 1000/-क्या तक सदस्यता शुल्क देने रखने संस्था के विशेष सदस्य माने रहेंगे ।

सामान्य सदस्य : जो अधिक संस्थागत में सक्रिय कार्यरत रहने तथा संस्था को 500/-क्या या अधिक सदस्यता शुल्क देने रखने संस्था के सामान्य सदस्य माने रहेंगे ।

सदस्यता ग्रहण करने की अहली : जो भारतीय नागरिक हो तथा उसकी उम्र 18 साल या उससे अधिक हो ।

6. सदस्यता की समाप्ति:
- 1. मृत्यु होने पर ।
 - 2. वगल अथवा दिवालिया घोषित किये जाने पर ।
 - 3. संस्था विरोधी कार्य करने पर ।
 - 4. तथा एज अथवा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर ।
 - 5. लगातार तीन बैठकों में बिना कोई उचित सूचना विधे अनुपस्थित होने पर ।
 - 6. किसी न्यायालय द्वारा किसी कारणवश न्यायाधिकार केस में दोष सिद्ध किये जाने पर ।
 - 7. सदस्यता शुल्क समकित न अदा करने पर ।

3. संस्था के अंग

1. साधारण सभा

गठन : नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत मिला कर साधारण सभा का गठन करेगे ।
बैठक : साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में कम से कम एक बार आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक किसी भी समय बुलाई जा सकती है ।

सूचना/अवधि : साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सभी सदस्यों को निश्चित सूचना के आधार पर 12 दिन पूर्व देनी होगी विशेष बैठक की सूचना 9 दिन पूर्व देना आवश्यक होगा ।

कोरम : साधारण सभा का कोरम कुल सदस्यों का 2/3 होगा, कोरम के अभाव में एक बार बैठक स्थगित हो जाने पर पुनः उसी एजेण्डे पर विचारण हेतु बैठक बुलाने पर कोरम की आवश्यकता नहीं होगी ।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :

साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार आवश्यक होगा जिसकी तिथि, कार्यक्रम व समय प्रबंधसमिति द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

अतीत कुमार सिंह
 आका सिंह
 राज नारायण सिंह
 अतकिंद कुमार सिंह

सत्य-प्रतिलिपि
 सत्य प्रकाश
 केसहटोज तथा विट
 प्रकाश

साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :

- 1: प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव कराना ।
- 2: संस्था की चल/अचल सम्पत्ति की देख भाल एवं सुरक्षा करना ।
- 3: संस्था का वार्षिक बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट पास करना ।

६: प्रबन्धकारिणी समिति:

- गठन प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों के आधार पर होगा जिसमें ०४ पदाधिकारी एवं ०४ सदस्य होंगे, तथा कुल संख्या ०८ होगी ।
- बैठके प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में कम से कम दो बार अवश्य होगी आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक किसी भी समय बुलाई जा सकती है
- सूचना/अवधि प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सभी सदस्यों/पदाधिकारियों को कम से कम ६ दिन पूर्व देनी होगी विशेष बैठक की सूचना २ दिन पूर्व देना आवश्यक होगा ।
- कोरम प्रबन्धकारिणी समिति का कोरम कुल सदस्यों का २/३ होगा, कोरम के अभाव में एक बार बैठक स्थगित हो जाने पर पुनः उसी एजेण्डे पर विचारण हेतु बैठक बुलाने पर कोरम की आवश्यकता नहीं होगी ।
- रिक्त स्थानों की पूर्ति: प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत रिक्त स्थानों को अस्थायिक रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के बहुमत के आधार पर शेषकाल के लिए साधारणसभा में से नियमानुसार की जायेगी ।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य :

- 1: संस्थाहित में शाखा संस्थाओं के संचालन एवं समितियों उपकमेटियों का गठन एवं संचालन करना ।
 - 2: संस्था का वार्षिक बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना तथा उसे साधारणसभा से पास कराना ।
 - 3: कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति/पदच्युति/वेतनबृद्धि/नियमितीकरण एवं अन्य कार्यवाही किसी सक्षम पदाधिकारी की लिखित संस्तुति पर करना ।
 - 4: संस्था के लिए सम्पत्ति जुटाना, तथा संस्था विकास व संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी बैंक, प्रतिष्ठान अथवा वित्तीय संस्था से ऋण आदि प्राप्त करना
 - 5: स्वयं के भंग होने अथवा कार्यकाल बढ़ाये जाने पर नये चुनाव तक कार्य करना
- कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल चुनाव तिथि से लेकर पाँच साल तक होगा

१०: प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों का अधिकार व कर्तव्य:

- अध्यक्ष
- 1: सभी बैठकों की अध्यक्षता करना ।
 - 2: बैठको को बुलाना तथा उसका अनुमोदन करना ।
 - 3: बैठकों में शान्ति व्यवस्था कायम करना ।
 - 4: बैठकों की तिथि, समय व स्थान का निर्धारण करना ।
 - 5: बैठको मे प्रस्ताव रखना तथा दूसरों को प्रस्ताव रखने की अनुमति प्रदान करना ।

उईप कुमार सिंह
आरामा सिंह
तेज बहादुर सिंह
सुरेश कुमार सिंह

सत्य-प्रतिलिपि

सहायक निबंधक
सोसाइटीज तथा चिट
आजमाद

- उपाध्यक्ष १: अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके सभी अधिकारों का प्रयोग करना ।
- प्रबन्धक १: साधारण सभा की बहुमत की मॉग पर कार्यकारिणी भंग करना कार्यकाल बढ़ाना तथा आवश्यकतानुसार पुनः चुनाव कराना ।
- २: दोनों सभाओं में पारित प्रस्तावों एवं निर्णयों को अंतिम रूप देना तथा उन्हें क्रियान्वित करना ।
- ३: वित्तीय एवं प्रशासनिक तथा क्षमादान का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखना
- ४: बैठकों में विधन पहुँचाने वाले दोषी लोगों को बैठक से निष्कासित करना तथा उनको खिलाफ विधिक कार्यवाही करना, तथा त्याग पत्र स्वीकार करना ।
- ५: किसी विवाद के निस्तारण में समान मत होने पर एक अतिरिक्त निर्णायक मत देना
- ६: संस्था के धन को संस्था विकास एवं चैरिटेबुल कार्यों में व्यय करना ।
- ७: संस्था के समस्त मूल अभिलेखों/दस्तावेजों का अपने पास रख रखाव एवं सुरक्षा करना
- ८: संस्था के पक्ष में मिलने वाले ऋण, अनुदान, दान, चन्दा, भूमि, भवन आदि को प्राप्त/करना तथा उसकी यथा विधि रसीद देना ।
- ९: बैठकों की कार्यवाही करना तथा उनके प्रिन्सिपल रिकॉर्ड पर नोट करना या किसी से नोट करवाना
- १०: संस्था की ओर से समस्त बिस्व बाउचरो पर हस्ताक्षर करना
- ११: कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, पदच्युति, वेतनबृद्धि, नियमतीकरण एवं अन्य कार्यवाही करने के लिए प्रबन्धसमिति को लिखित प्रस्तुति देना ।
- १२: संस्था के कार्यकर्ताओं के प्रीवियू करना तथा दोषी पाये जाने पर उनको दण्डित करना संतुष्ट होने पर दोषमुक्त करना तथा संस्था/संस्थाओं की किसी कर्मचारी के जॉच की अवधि तक निलम्बित करना तथा जॉच की रिपोर्ट कार्यकारिणी समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना ।
- १३: सदस्यों से सदस्यता शुल्क लेना और उसकी रसीद देना ।
- १४: सदस्यता फार्म पर हस्ताक्षर करना तथा सदस्य बनाना ।
- १५: सदस्यता ग्रहण करने योग्य पात्र व्यक्तियों को अपना अंतिम निर्णय देना ।
- १६: संस्था की चल / अचल सम्पत्ति की देखभाल एवं सुरक्षा करना ।
- १७: संस्थाहित में सभी प्रकार का कार्य करना ।
- १८: आपात स्थिति में बैठकों को बुलाना ।
- १९: आय व्यय के बजट को पास कराने में मदद करना ।
- २०: बैठकों की तिथि, समय व स्थान की सूचना सदस्यों को देना ।
- २१: संस्था को मजबूत बनाये रखने हेतु कार्य करना ।
- २२: संस्था की ओर से समस्त पत्राचार करना ।

प्रदीप कुमार सिंह
असहायक प्रबन्धक
नेपाल इन्टरनेशनल
इन्टरनेशनल कुमाय सिंह

सत्य-प्रतिलिपि

सहायक निबंधक
सोसाइटीज तथा चिट
आजमगढ़

कोषाध्यक्ष

-8-

- १: आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना ।
- २: प्रबन्धक की सहमति पर समस्त वित्त वाउचरों का भुगतान करना ।
- ३: प्रबन्धक की सहमति से समस्त धन किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करना ।
- ४: आय व्यय के लेखा जोखा की रिपोर्ट साधारण सभा में पेश कर पस करवाना
- ५: संस्था की प्रगति का प्रचार प्रसार करना ।
- ६: समस्त ज्ञापनों -दिज्ञापनों का प्रकाशन व भुगतान करना ।

११: संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा के सभी प्रकार के सदस्यों के २/३ बहुमत के आधार पर किया जायेगा ।

१२: संस्था का कोष: संस्था का कोष किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खाता खोल कर जमा किया जायेगा जिसका संचालन प्रबंधक व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा ।

१३: संस्था के आय व्यय का लेखा जोखा: संस्था के आय व्यय का ऑडिट साधारण सभा की राय से किसी मान्यता प्राप्त (आडिटर) द्वारा कराया जायेगा ।

१४: संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व : अदालत को कार्यवाही संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध दायित्व होने वाले मुकदमों की कार्यवाही प्रबंधक द्वारा संस्था व्यय पर की जायेगी जो प्रथम बार जनपद आजमगढ़ के न्यायालय में ही देखे जा सकेंगे ।

१५: संस्था के अभिलेख

- १: सदस्यता रजिस्टर
- २: कार्यवाही रजिस्टर
- ३: स्टॉक रजिस्टर
- ४: सूचना रजिस्टर
- ५: कैश बुक आदि।

१६: संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सो.रजि.०.एक्ट की धारा १३ व १४ के अन्तर्गत की जायेगी ।

सत्यप्रतिलिपि

६०

प्रदीप कुमार सिंह

प्रदीप कुमार सिंह

सत्य-प्रतिलिपि

प्रदीप सिंह

सहायक प्रबंधक

हेम नहापुर सिंह

सोसाइटीज तथा वित्त

जगत सिंह कुमार सिंह

आजमगढ़